मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः10.10.2025

थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा नवजात शिशु के अपहरण/मानव तस्करी के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, नवजात शिशु सकुशल बरामद —

थाना राजगढ़, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः09.10.2025 को वादी राजेश कुमार पुत्र शिववरत निवासी मटिहानी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्ता के विरूद्ध लिखित तहरीर दी गई कि लोढ़ी जिला अस्पताल सोनभद्र से अपने पत्नी के साथ नवजात शिशु(पुत्र)को लेकर घर वापस लौट रहा था कि नदिहार बाजार में पूजा नाम की एक महिला चकमा देकर वादी के नवजात शिशु को लेकर फरार हो गयी। सूचना पर डायल-112 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर तलाश/खोजबीन करायी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-172/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत नवजात शिशु के सकुशल बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष राजगढ़ को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना राजगढ़ पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में सुरागरसी-पतारसी, भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः10.10.2025 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा नवजात शिशु की सकुशल बरामदगी हेतु घोरावल की तरफ वादी मुकदमा के साथ भ्रमणशील थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध महिला को नवजात शिशु के साथ पकड़ा गया। जिनके द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता पूजा विश्वकर्मा पत्नी संतोष विश्वकर्मा निवासिनी बरईटोला थाना घोरावल जनपद सोनभद्र व मोटरसाइकिल चालक द्वारा अपना नाम पता दीनदयाल विश्वकर्मा पुत्र राजेन्द्र विश्वकर्मा निवासी रैपुरा थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र बताया गया। महिला के पास से बरामद नवजात शिशु को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर वादी मुकदमा को सुपुर्द किया गया। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त व अभियुक्ता के पास से क्रमशः ₹ 1220/- व ₹ 315/- बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-172/2025 धारा 137(2), 143(2) बीएनएस में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा मौके से बरामद मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP64V7599 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त दीनदयाल विश्वकर्मा व अभियुक्ता पूजा विश्वकर्मा द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दीनदयाल विश्वकर्मा के पास पुत्रियाँ थी। दीनदयाल(अभियुक्त) उपरोक्त द्वारा अपने पूर्व परिचित पूजा(अभियुक्ता) से एक पुत्र की व्यवस्था करने की बात कही गयी तो अभियुक्ता द्वारा ₹ 30000/- की मांग की गयी थी जिसे अभियुक्त द्वारा ₹ 5000/- एडवांस दिया गया था। दिनांकः09.10.2025 कोनदिहार बाजार से दम्पत्ति को चकमा देकर नवजात शिशु को लेकर घोरावल भाग गये थे, नवजात शिशु अत्यधिक रो रहा थे जिसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे कि पकड़े गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1.पूजा विश्वकर्मा पत्नी संतोष विश्वकर्मा निवासिनी बरईटोला थाना घोरावल जनपद सोनभद्र,उम्र करीब-28 वर्ष।

2.दीनदयाल विश्वकर्मा पुत्र राजेन्द्र विश्वकर्मा निवासी रैपुरा थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र, उम्र करीब-30 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग —
मु0अ0सं0-172/2025 धारा 137(2), 143(2) बीएनएस थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —
उप-निरीक्षक दयाशंकर ओझा थानाध्यक्ष राजगढ़, जनपद मीरजापुर।
उप-निरीक्षक नरेन्द्र कुमार राय,मुख्य आरक्षी कन्हैयालाल, भानू प्रताप यादव व रामविलाश यादव।
महिला आरक्षी रुपा वर्मा।

******